मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2003 (फाल्गुन 14, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए.-5-1-2002-विक-पांच (96), दिनांक 5 दिसम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, इंदौर नगर में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिये अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये निर्वाचन

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2003-2004 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिनमें से क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के अठावनवां, उनसठवां, साठवां एवं इकसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

- 2-

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य –

(क) दतिया जिले के ऐतिहासिक स्थल उन्नाव (बालाजी) को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने, तथा
(ख) टीकमगढ़ जिले के ग्राम जुगयाई में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

(2) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, देवास जिले के ग्राम बीजलगांव के पास अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(3) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम रसमोहनी एवं अमहा के बीच कुनुक नदी पर पुलिया बनाये जाने,

(4) श्री अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम गरौली के पास नाले पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,

(5) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना जिले के –

(क) ग्राम बमुरिया के पास नाले पर पुल बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम देवरछी में नाले पर स्टापडेम बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. वर्ष 2003-2004 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा (शेष 20 मि.)	(1)	मांग संख्या – 13	कृषि
		मांग संख्या – 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या – 08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
		मांग संख्या – 09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या – 28	राज्य विधान मंडल
		मांग संख्या – 35	पुनर्वास
		मांग संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
		मांग संख्या – 84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
		मांग संख्या – 76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या – 91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा.
30 मि.	(5)	मांग संख्या – 07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.
1 घन्टा	(6)	मांग संख्या – 44	उच्च शिक्षा.
30 मि.	(7)	मांग संख्या – 15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या – 62	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना
		मांग संख्या – 64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
		मांग संख्या – 79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.

भोपाल :
दिनांक : 4 मार्च, 2003

डॉ.ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.